

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4823

(शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन

4823. श्रीमती रीती पाठक:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत अधिदेशित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत कंपनियों के किए कुल व्यय के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनी द्वारा उनके आरंभ से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किस क्षेत्र में और कौन से वर्ष यह निधि व्यय की गई;

(ग) क्या मंत्रालय को उक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिए विभिन्न वर्गों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
चौधरी)

(श्री पी. पी.

(क): जी नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): लागू नहीं होता।
